

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 517]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 नवम्बर 2014—कार्तिक 20, शक 1936

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2014

क्र. 5301-फा. 1-3-2012-इक्कीस-ब(एक).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 5 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1486-फा. 1-3-2012-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 11 मार्च, 2014 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 3 मई, 2014 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 34 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात्:—

#### सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	न्यायालयों की संख्या		
		अपर जिला न्यायाधीश	सिविल न्यायाधीश वर्ग-1	सिविल न्यायाधीश वर्ग-2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“34.	रतलाम	8	6	13.”

No. 5301 F. 1-3-2012-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 5 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), the State Government, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No. 1486-F-1-3-2012-XXI-B(One) dated 11th March, 2014 which was published in the Madhya Pradesh Gazette dated 3rd May, 2014, namely:—

#### AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial number 34 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Number of Courts of		
		Addl. Distt. Judges	Civil Judges Class-I	Civil Judges Class-II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
" 34.	Ratlam	8	6	13."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.

#### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

क्र. A-3956-A-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, तथा इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक डी-2836-तीन-10-40/78 भाग सात दिनांक 29 अप्रैल, 2014 जो "मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक 3 मई, 2014 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 34 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात्:—

#### सारणी

अनु- क्र.	सिविल जिलों का नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
34	रतलाम	रतलाम	5	रतलाम	4	रतलाम	6
		जावरा	2	जावरा	1	जावरा	4
		आलोट	1	सैलाना	1	सैलाना	1
						आलोट	2

No. A-3956-A-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), the High Court, of Madhya Pradesh hereby, makes the following amendment in its Notification D/2836/III-10-40/78-VII dated 29th April, 2014 which was published in the “Madhya Pradesh Gazette” dated 3rd May, 2014, namely:—

## AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial number 34 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Courts of Additional District Judges		Courts of Civil Judges Class-I		Courts of Civil Judges Class-II	
		Place of sitting	Number of Courts	Place of sitting	Number of Courts	Place of sitting	Number of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
34	Ratlam	Ratlam	5	Ratlam	4	Ratlam	6
		Jaora	2	Jaora	1	Jaora	4
		Alot	1	Sailana	1	Sailana	1
						Alot	2

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (जिला स्थापना).